न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 123/15

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 ताराचन्द पुत्र स्व. कुशालाराम जाति जाट पेशा खेती निवासी मालसर तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रिछपाल पुत्र स्व. टेकराम उर्फ टेकला जाति जाट पेशा खेती निवासी मालसर तहसील व जिला झुंझुनूं।

2 रामकरण पुत्र स्व. किशनाराम जाति जाट पेशा खेती निवासी तोगड़ा कलां तहसील नवलगढ़ हाल निवासी मालसर तहसील व जिला झुंझुनूं।

3 राजस्थान सरकार जरिये लैन्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं।

4 झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा झुंझुनूं।

रेस्पोंडेन्ट

अपील धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्व
निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.15 बमुकदमा
उनवानी रिछपाल बनाम ताराचन्द वगैरह दावा
बाबत इस्तकरारहक, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मु.नं. 66/04 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं।

Case Design

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित

1. श्री शिवनारायण सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमर सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–27.08.18

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा वाद संख्या 69/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 की और से भूमि पुराना खसरा नम्बर 6/1,72 कुल किता 2 कुल रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 10,11,12 ,193,194,195,196,198,199,200,201,202 कुल किता 12 कुल रकबा 7.48 हैक्टेयर वाके ग्राम मालसर में अपना 1/2 हिस्सा होना बताते हुये घोषणा, बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर वाद कथन को अस्वीकार किया विचारण न्यायालय ने तनकियात कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वाद वादी डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील में दिनांक 13.04.2016 को उभयपक्ष की और से राजीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया दिनांक 28.04.2016 को उभयपक्ष की उपस्थिति में अधिवक्तागण की पहचान पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

Case Design

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत अपील में उभयपक्ष ने राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामें अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया है प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील को अन्दर मियाद माना जाता है।

चूकिः उभयपक्ष ने राजीनामा प्रस्तुत कर दिया है अत विस्तृत विवेचन किये बिना अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2015 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को राजीनामें की मूल प्रति के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर राजीनामें अनुसार विधि के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें राजीनामें की एक प्रति अपील न्यायालय की पत्रावली में सुरक्षित रखी जाये उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27/8/18 को उपस्थित रहें।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/8/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

Case Design